न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1538

1. औमप्रकाश पुत्र गोरखा जाति सुनार (सोनी), निवासी दूदवा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिलानी, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं।
2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा जरिये सरपंच, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 03.07.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट उनवानी रास्ता प्रकरण, मुकदमा नंबर 09/2025 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :— 13.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2025 के खिलाफ दिनांक 11.07.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 13.05.2025 को राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 व परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में राजस्व ग्राम दूदवा, पटवार मण्डल दूदवा, भू0अ0नि0 वृत पिपली, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं के आराजी खसरा नम्बर 244, 242, 245, 480/248, 247, 248, 475/247, 617/251, 251, 252, 254, 256, 260, 261, 264, 265 में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। उक्त प्रचलित चालू स्थाई रास्ते का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख एवं ग्राम पंचायत दूदवा का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, पिलानी द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम दूदवा, पटवार मण्डल दूदवा, भू0अ0नि0 वृत पिपली, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं के आराजी खसरा नम्बर 244, 242, 245, 480/248, 247, 248, 475/247, 617/251, 251, 252, 254, 256, 260, 261, 264, 265 में प्रस्तावित रास्ते के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते को खातेदारों की खातेदारी में ही रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें में अमल दरामद करने एवं तहसीलदार पिलानी से प्राप्त प्रस्ताव कमांक/भू.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अ./2025/968 दिनांक 13.05.2025 मय भू0अ0 निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट, ग्राम पंचायत आवेदन आदेश का भाग रखने तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पिलानी को लिखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट औमप्रकाश पुत्र गोरखा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं दिनांक 03.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 247 व 248 ग्राम दूदवा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार हैं। विवादित भूमि में पूर्व से डबल डोटेड लाईन का रास्ता विद्यमान है। तहसीलदार ने आराजी खसरा नम्बर 247 व 248 में प्रचलित रास्ते की बात कहते हुए अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को पेश की जिस पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने उसी दिन प्रकरण दर्ज कर उसी दिन रास्ता दर्ज करने की आज्ञा प्रसारित कर दी। मौके पर कभी पटवारी हल्का नहीं आये न मौका रिपोर्ट बनाई न कोई नोटिस दिया गया व समस्त कार्यवाही से स्पष्ट होगा कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानून व नियमों की अनदेखी करते हुए व बलाए ताक रखकर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। यह निर्विवाद है कि पटवारी हल्का ने मौके की जांच के समय प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया, न अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस दिया एवं मौका रिपोर्ट, गिरदावर की रिपोर्ट व तहसीलदार जी की अभिशंषा जो प्रिन्टेड फार्म पर फिल इन द ब्लेक्स (खाली स्थान भरकर) पेश की गई है के आधार पर प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी जी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को अपना अवैध अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया कि जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतीकूल होने से एवं बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध आदेश प्रसारित किया जो सरसरे रूप में निरस्तनीय हैं। प्रचलित रास्ता वह होता है जो आम रास्ता हो, यह आम रास्ता न है न हो सकता, न आम रास्ते की कोई रिपोर्ट ली हैं। परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि जिस पहलू पर भी श्रीमान जी ने कोई विचार न कर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। प्रार्थी की भूमि में जो अभिशंषा के साथ नक्शा लगा है के अनुसार कोई रास्ता नहीं हैं। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जबकि गिरदावर, पटवारी व तहसीलदार जी मौके पर कभी गये ही नहीं न कोई मौका का नोटिस दिया गया ऐसी स्थिति में अवैध अपीलाधीन आदेश सरसरे तौर पर ही निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच न कर पटवारी, गिरदावर की रिपोर्ट व तहसीलदार जी की अभिशंषा को अकाट्य प्रमाण मानकर बिना पटवारी के बयान दर्ज किये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया जो सरसरे रूप में ही निरस्तनीय हैं। विवादित भूमि में प्रार्थी की फसल खड़ी है। एवं कभी कोई रास्ता न है न कभी रहा ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय हैं। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की तारीफ में न आने से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। ग्राम पंचायत को इस प्रकार से प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नही है। पंचायत की और से कभी कोई भी पंच, सरपंच,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विकास अधिकारी आदि मौके पर नहीं आये न उन्होनें कोई मौका रिपोर्ट बनाई न उन्होनें प्रस्ताव पास करने के पूर्व कोई नोटिस प्रार्थी को दिया ऐसी स्थिति में भी अवैध अपीलाधीन आदेश कानूनी तौर पर निरस्तनीय हैं। जब पंचायत आवेदन करती है, प्रस्ताव पास करती है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की कहाँ आवश्यकता थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में मनमाना आदेश प्रदान करने में सरासर गम्भीर भूल की हैं। तथाकथित प्रस्ताव ग्राम पंचायत केवल मात्र अन्य खातेदारान् को निजी फायदा पहुँचाने हेतु प्रस्ताव पास किया था यही नहीं प्रार्थी न उसके परिवार द्वारा सरपंच जी को वोट न देने के कारण वैमनश्मता के कारण समस्त कार्यवाही की गई हैं। राजस्व अभियान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अधिक से अधिक रास्ते कायम करने व राज्य सरकार द्वारा अवार्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून व नियमों की अनदेखी कर निर्णय प्रसारित किया गया है कि जो सरसरी रूप में ही निरस्तनीय हैं। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, दिनांक 03.07.2025 निरस्त फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 13.05.2025 को राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 व परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में राजस्व ग्राम दूदवा, पटवार मण्डल दूदवा, भू0अ0नि0 वृत पिपली, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं के आराजी खसरा नम्बर 244, 242, 245, 480/248, 247, 248, 475/247, 617/251, 251, 252, 254, 256, 260, 261, 264, 265 में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। उक्त प्रचलित चालू स्थाई रास्ते का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख एवं ग्राम पंचायत दूदवा का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, पिलानी द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम दूदवा, पटवार मण्डल दूदवा, भू0अ0नि0 वृत पिपली, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं के आराजी खसरा नम्बर 244, 242, 245, 480/248, 247, 248, 475/247, 617/251, 251, 252, 254, 256, 260, 261, 264, 265 में प्रस्तावित रास्ते के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते को खातेदारों की खातेदारी में ही रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें में अमल दरामद करने एवं तहसीलदार पिलानी से प्राप्त प्रस्ताव कमांक/भू.अ./2025/968 दिनांक 13.05.2025 मय भू0अ0 निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट, ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पंचायत आवेदन आदेश का भाग रखने तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पिलानी को लिखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 247 व 248 ग्राम दूदवा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 247 व 248 में पूर्व से ही रास्ता खेतों के किनारे–किनारे विद्यमान था तो पुनः उक्त खसरा नम्बरों के बीच में से रास्ता कटान की आवश्यकता क्यों हुई ? तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मौका जांच नहीं की गई है केवल मात्र पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं ने प्राप्त रास्ता प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही व मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये है। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उसे कोई नोटिस दिया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर